प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा

की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 150 में –

मुझ प्रार्थी का नाम बसु पुत्र धुला दर्ज है, किंतु मेरा सही नाम बसन्तिलाल है एवं मेरे आधार-कार्ड, जन-आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, भामाशाह-कार्ड, राशन-कार्ड, बैंक डायरी में भी मेरा सही नाम बसान्ति लाल ही दर्ज है। मेरा नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम बसु होने से उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज हो गया। खाते में नाम मेरे वास्तविक नाम का विकृत या अपभ्रंश है। अतः श्रीमान राजस्व रेकार्ड में मेरा नाम बसु के बजाय बसान्तिलाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

बसान्तिलाल
प्रार्थी

....

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम गुडा की खा. सं. 150 में प्रार्थी का नाम बसु दर्ज है जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम बसन्तिलाल दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत या अपभ्रंश है। अतः ग्राम गुडा के खा. सं. 150 में दर्ज नाम बसु के बजाय सही इन्द्राज बसन्तिलाल दर्ज किया जाना उचित है।

[signature] LR पाठक
15/11/24

[signature]
पटवारी
पटवार मण्डल-[illegible]
तह. नयागांव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम गुडा की खा. सं. 150 में अंकित खातेदार बसु पुत्र धुला के बजाय बसन्तिलाल पुत्र धुला दुरुस्त किया जाना उचित है।

[signature]
16.11.21
तहसीलदार-नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागांव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुडा के खाता सं. 150 में अंकित बसु पुत्र धुला के बजाय बसन्तिलाल पुत्र धुला के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागांव को लिखा जावे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
____

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ....गुड़ा..........

–:आदेश:–

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ....गुड़ा.......... व भू.अ.नि. ....पारेश्रा की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालासर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ....गुड़ा.......... तहसील नयागांव जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् ....2075-78.......... में खाता संख्या ....150.......... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुड़ा	150	बसु पुत्र धुला	बसंतीलाल पुत्र धुला

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :– राजस्व/2021/124

दिनांक :– 16.11.2021

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ————————————————————को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा